This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 28 मई, 2022 / 7 ज्येष्ठ, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 26 मई, 2022

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–8 / 2022–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के कतिपय प्रवर्गों के वेतन

और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश, 2022 को दिनांक 20–05–2022 को प्रख्यापित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त अध्यादेश को वर्ष 2022 के अध्यादेश संख्यांक 2 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

ओदश द्वारा,

राजीव भारद्वाज,
प्रधान सचिव (विधि)।

2022 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश, संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश के कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश, 2022

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

मन्त्रियों, विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों पर आयकर के संदाय से सम्बन्धित उपबन्धों का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :––

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश के कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश, 2022 है।

अध्याय–2
मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 का संशोधन

2. **धारा 12 का लोप.**––मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 12 का लोप किया जाएगा।

अध्याय–3
हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 का संशोधन

3. **धारा 11–क. का लोप.**––हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 की धारा 11–क. का लोप किया जाएगा।

अध्याय—4

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 का संशोधन

4. धारा 6—कक. का लोप.——हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 6—कक. का लोप किया जाएगा।

(राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर),
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

(राजीव भारद्वाज),
प्रधान सचिव, विधि।

शिमला :
तारीख :........................, 2022

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. ORDINANCE NO. 2 OF 2022

THE HIMACHAL PRADESH PAYMENT OF INCOME TAX ON SALARIES AND ALLOWANCES OF CERTAIN CATEGORIES ORDINANCE, 2022

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India.

AN ORDINANCE to amend the provisions regarding payment of Income Tax on the Salaries and Allowances of Ministers, Speaker, Deputy Speaker and Members of the Legislative Assembly.

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Payment of Income Tax on Salaries and Allowances of Certain Categories Ordinance, 2022.

CHAPTER-II

AMENDMENT OF THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) ACT, 2000

2. Omission of Section 12.—In the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Prdesh) Act, 2000, section 12 shall be omitted.

CHAPTER-III

AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES ACT, 1971

3. Omission of Section 11-A.—In the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971, Section 11-A shall be omitted.

CHAPTER-IV

AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1971

4. Omission of Section 6-AA.—In the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, Section 6-AA shall be omitted.

(RAJENDRA VISHWANATH ARLEKAR),
Governor, Himachal Pradesh.

(RAJEEV BHARDWAJ)
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA :
THE.................2022.

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 25 मई, 2022

1. कृषि

संख्याः श्रम(ए)4–2/2018–पी–II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **कृषि** के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को **01–04–2022** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4–2/2018–एल तारीख 30–07–2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी,